रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252988 CG-DL-E-14032024-252988

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1265]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945

No. 1265]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

का.आ. 1328(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 49ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री गोबिंद सागर भारद्वाज, अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 15 अगस्त 2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रबंधन प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है।

[फा. सं. डब्ल्यू एल-1/9/2023-डब्ल्यू एल] आर. रघु प्रसाद, वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)

1897 GI/2024 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2024

S.O. 1328(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49E of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby designates Shri Gobind Sagar Bhardwaj, Additional Director General of Forests, Ministry of Environment, Forest and Climate Change as the Management Authority for the purpose of discharging the functions and exercising the powers under the Act till the 15th August 2027 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. WL-1/9/2023-WL]

R. RAGHU PRASAD, Inspector General of Forests (WL)